



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229965
CG-DL-E-27092021-229965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3639]
No. 3639]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3973(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अयोध्या रिंग रोड के किमी. 0.000 से किमी. 66.500 तक, के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या रिंग रोड के किमी. 0.000 से किमी. 66.500 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	बस्ती	हरैया	1 रायपुर तप्पा बेलवा

	संगठन), बस्ती	Ring Road के कि.मी. 60.1 से 66.5 तक				2 गोड़सरा तिवारी 3 पिकौरा चौबे
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन), अयोध्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring Road के कि.मी. 26.5 से 60.1 तक	उत्तर प्रदेश	कैज़ाबाद	सदर	1 तिहुरा मांझा

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2021/PIU-Raebareilly]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3973(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 66.500 of the Ayodhya Ring Road for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition from Km. 0.000 to Km. 66.500 on Ayodhya Ring Road in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Basti	60.1KM To 66.5KM	UTTAR PRADESH	BASTI	Harraiya	1 Raypur Tappa Belwa 2 Godsara Tiwari 3 Pikaura Chaube
2	Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Ayodhya	26.5KM To 60.1KM	UTTAR PRADESH	FAIZABAD	Sadar	1 Tihura Manjha

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/2021/PIU-Raebareilly]

RAJESH GUPTA, Director